रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112026-277629
CG-DL-E-03112026-277629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948
No. 646] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

फा. सं. SS-T0SP20(M)/4/2026-Standard-FSSAI.—खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, जो कि इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी;

यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो, तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 को अथवा ईमेल द्वारा sp-packaging@fssai.gov.in. पर भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, —

(1) खाद्य पैकेजिंग की प्राथमिक सामग्री के लिए विशिष्ट अपेक्षाओं से संबंधित विनियम (4) में, खाद्य उत्पादों के संपर्क में आने के लिए आशयित प्लास्टिक सामग्रियों से संबंधित उप-विनियम (4) में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्;

(च) आईएस 14534 में यथा परिभाषित रासायनिक पुनर्चक्रण प्रक्रिया के माध्यम से मोनोमर प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादित पुनर्चक्रित पॉलीएथिलीन (PE) और पॉलीप्रोपाइलीन (PP) का उपयोग खाद्य-संपर्क सामग्रियों के लिए केवल तभी किया जा सकता है, जब प्राप्त उत्पाद (अंतिम उत्पाद) को वर्जिन सामग्री के समतुल्य माना जाए और वह वर्जिन सामग्री पर लागू मानदंडों के अनुरूप हो।

(छ) केवल खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री से प्राप्त पुनर्चक्रित पॉलीमर का उपयोग खाद्य-संपर्क के लिए आशयित बहुस्तरीय पैकेजिंग सामग्री की सबसे बाहरी परत में किया जा सकता है, बशर्ते कि भीतरी परतों में ऐसे पर्याप्त अवरोधक गुण हों, जो सबसे बाहरी परत से पदार्थों के खाद्य में अंतरण को रोक सकें और पैकेजिंग सामग्रियों के लिए पूर्व निर्धारित अंतरण सीमाओं के भी अनुरूप हों।

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./423/2026-27]

नोट-मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 1-95/स्टड्स/पैकेजिंग/स्प (ल&क/अ)/फ्स्सई-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें पिछला संशोधन अधिसूचना संख्या फा. सं. रसद-09002/1/2026-रेगुलेटरी-फ्स्सई, दिनांक 7 अगस्त, 2026 द्वारा किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

F. No. SS-T0SP20(M)/4/2026-Standard-FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or may be sent by email at sp-packaging@fssai.gov.in.

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2026.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, -

(1) In regulation (4) relating to specific requirements for primary food packaging, in sub regulation (4) relating to plastic materials intended to come in contact with food products, after Clause (e) the following clauses shall be inserted, namely;

(f) Recycled Polyethylene (PE) and Polypropylene (PP) produced by Chemical recycling process as defined in IS 14534, via the monomer route, may be used for food-contact materials, only when the output (end product) is considered equivalent to virgin material and meets the criteria applicable to virgin material.

(g) Recycled polymer derived exclusively from food-grade packaging material may be used in the outermost layer of multilayer packaging material intended for food contact, provided that the inner layers possess adequate barrier properties to prevent migration of substances from the outermost layer into the food and also shall fulfil the already prescribed migration limits for packaging materials.

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./423/2026-27]

Note. -The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018 and last amended vide notification number F. No. RCD-09002/1/2026-Regulatory- FSSAI dated 7th August, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA